कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 03-07-2024

विषय:- **पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा अवैध खनन में लिप्त हल्का प्रभारी निलम्बित एवं थाना प्रभारी किये गये लाइन हाजिर।**

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल को कल दिनांक 02.07.2024 को सायंकाल चोलापुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई तथा शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हो रही है। उक्त शिकायत की सत्यता की जांच हेतु पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपने पी.आर.ओ. व एस.ओ.जी. प्रभारी की गोपनीय टीम गठित कर थाना चोलापुर क्षेत्रान्तर्गत लश्करपुर में स्थलीय निरीक्षण कराया गया तो शिकायत सही पाई गई व मौके से 01 जेसीबी व 02 ट्रैक्टर मय ट्रॉली व अवैध खनन में लिप्त तीन व्यक्ति हिरासत में लिये गये। उपरोक्त व्यक्तियों के पास खनन करने के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नही था। जिस पर थाना चोलापुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए बरामद वाहनों को सीज किया गया।

उच्चाधिकारीगण द्वारा बार-बार थाना प्रभारियों को अवैध खनन में लिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद थाना प्रभारी चोलापुर व हल्का प्रभारी द्वारा अवैध खनन में लिप्त लोगों के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नही की गई, जो प्रथम दृष्टया इनकी संलिप्तता व लापरवाही प्रदर्शित करती है। जिसके फलस्वरूप पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा हल्का प्रभारी उ0नि0 बुद्धराज के विरूद्ध निलम्बन एवं थाना प्रभारी चोलापुर अतुल कुमार सिंह के विरूद्ध लाइन हाजिर की कार्यवाही की गई।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई कि किसी थाना क्षेत्र में अवैध खनन होता पाया गया तो प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।